भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1463
25.07.2017 को उत्तर के लिए

प्लास्टिक की खपत

1463. श्री महेश गिरी:
श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्लास्टिक की खपत वर्तमान 12 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) से बढ़कर 20 एमएमटीपीए होने की संभावना है;
(ख) यदि हां, तो इसकी खपत को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या सरकार लोगों में प्लास्टिक की खपत के दुष्परिणामों के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु कदम उठाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विचार देश में प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण/उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(डॉ हर्ष वर्धन)

(क) रयासन और पेट्रो-रसायन विभाग के अनुसार, वर्ष 2015-16 के दौरान पोलीमर्स का उत्पादन 8.84 मिलियन टन है। इसी अवधि के दौरान प्रफोर्मेंस प्लास्टिक का उत्पादन 1.70 मिलियन टन होने की सूचना है।

(ख) और (ग) सरकार ने मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्लास्टिक के उपयोग के नुकसानदेय परिणामों पर ध्यान दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विकास और प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, एकत्रण, भंडारण, परिवहन, प्रंस्करण, पुनर्चक्रण और निपटान के लिए अवसंरचना स्थापित करने के लिए प्रत्येक स्थानीय निकाय को उत्तरदायी बनाया गया है। ये नियम पुनर्चक्रकों को बीआईएस मानकों का अनुपालन करने के लिए अधिदेशित करने के अलावा, सामान रखने के थैलों, प्लास्टिक शीट अथवा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले ऐसे ही उत्पादों के प्रयोग पर रोक लगाते हैं।

(घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लास्टिक के प्रयोग पर पूर्णत: रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं करता है।

******